प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 100/2023)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

ट्राई ने "हिमाचल प्रदेश के दूर-दराज के इलाकों में बैकहॉल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार" पर अनुशंसाएं जारी की हैं।

नई दिल्ली, 29 सितंबर 2023 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज "हिमाचल प्रदेश के दूर-दराज के इलाकों में बैकहॉल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार" पर अपनी अनुशंसाएं जारी की ।

भादूविप्रा देश के सुदूर, पहाड़ी और ऊंचाई वाले इलाकों में बैकहॉल और दूरसंचार के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए लगातार प्रयासरत रहा है। प्राधिकरण ने 12 दिसंबर, 2022 को 'हिमाचल प्रदेश के दूर-दराज के इलाकों में टेलीकॉम कनेक्टिविटी/इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार'' पर अपनी पूर्व अनुशंसा में चार चिन्हित जिलों (चंबा, कुल्लू, लाहौल और स्पीति एवं मंडी) में सभी तहसीलों/ तालुकों को कवर करते हुए कोर ट्रांसमिशन बैकहॉल नेटवर्क के लिए एक व्यापक निवेश योजना की आवश्यकता पर प्रकाश डाला था और यह भी कहा था कि इस मुद्दे पर एक सिफारिश अलग से प्रस्तुत की जाएगी । ये चार जिले राज्य के अन्य हिस्सों की तुलना में अपेक्षाकृत दूरस्थ और अविकसित हैं, जिससे उचित दूरसंचार और बैकहॉल बुनियादी ढांचे की कमी है।

2. उपरोक्त अनुशंसाओं को जारी रखते हुए, भादूविप्रा ने हिमाचल प्रदेश के उपरोक्त चार जिलों में कोर ट्रांसमिशन बैकहॉल नेटवर्क का व्यापक आकलन किया है। यह जमीनी स्तर की स्थिति की जानकारी हासिल करने के लिए टीएसपी, राज्य सरकार के अधिकारियों, सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों आदि सहित प्रासंगिक हितधारकों के साथ व्यापक बातचीत करके किया गया था।

3. तदनुसार, एक मजबूत, टिकाऊ और लचीली बैकहॉल दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण ने स्वत: संज्ञान लेते हुए "हिमाचल प्रदेश के दूर-दराज के इलाकों में बैकहॉल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार" पर अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया है। ये सक्रिय प्रयास यह सुनिश्चित करेंगे कि भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी विश्वसनीय और उन्नत दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध हो।

4. अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं: -

(i) हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ अन्य राज्यों में भी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और सैनिकों की तैनाती वाले अग्रिम सीमावर्ती इलाकों में हाई स्पीड 4जी/5जी आधारित सेल्युलर मोबाइल कवरेज (बैकहॉल सहित) की व्यवस्था करने के लिए यूएसओएफ से या केंद्र सरकार से अलग बजटीय सहायता से एक अलग समर्पित राशि निर्धारित की जाए । इस कोष से ऐसी साइटों के परिचालन व्यय को भी पूरा करना चाहिए।

(ii) बीएसएनएल के माध्यम से यूएसओएफ को एक जमीनी सर्वेक्षण करना चाहिए और तीसा ब्लॉक मुख्यालय से पांगी ब्लॉक मुख्यालय के रास्ते से उदयपुर तक ओएफसी बैकहॉल कनेक्टिविटी को शुरू करने के लिए फंड देना चाहिए।

(iii) दूरसंचार विभाग/यूएसओएफ को रक्षा मंत्रालय से उनकी किसी भी कैप्टिव ओएफसी मीडिया नेटवर्क (यह एक राष्ट्रीय संपत्ति भी है) से ओएफसी की एक जोड़ी लीज पर पांच साल की अवधि के लिए (पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर) प्राप्त करने के लिए पुनः संपर्क करना चाहिए, ताकि यूएसओएफ या केंद्र सरकार से अलग बजटीय सहायता से निर्धारित धनराशि का उपयोग करके सीमावर्ती क्षेत्रों से सटे पूरे भारत के अग्रिम इलाकों में 4G/ 5G आधारित सेलुलर मोबाइल सेवाओं और हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को शुरू करने के लिए एक आसानी से तैयार किए गए ओएफसी मीडिया संसाधन को उपयोग में लाया जा सकें जैसाकि अध्याय 2 के अनुच्छेद 2.28 में प्रस्तावित हैं। इसके अलावा अनुबंध दस्तावेज़ में एक खंड शामिल किया जाना चाहिए जिसमें कहा गया हो कि यूएसओएफ द्वारा नामित कार्यान्वयन एजेंसी को अनुबंध आवंटन के पांच साल के भीतर अपने स्वयं के ओएफसी फाइबर को रोल आउट करना अनिवार्य होना चाहिए, ताकि सशस्त्र बलों से लीज पर लिए गए ओएफसी मीडिया को पुन: उपयोग की कार्यात्मक स्थिति में पूरी तरह से मुक्त किया जा सके।

(iv) बीएसएनएल को आसानी से उपलब्ध डार्क फाइबर के उपयोग के लिए चंबा और लाहौल और स्पीति जिलों में सक्रिय आईपी-1 के साथ जुड़ना चाहिए। ये डार्क फाइबर क्रमशः भरमौर, मेहला, तिस्सा, सलूनी और स्पीति (काज़ा) के ब्लॉक मुख्यालयों में बीएसएनएल के संचालन को रेडियो/सैटेलाइट-आधारित माध्यम से रैखिक ऑप्टिकल फाइबर-आधारित ट्रांसमिशन बैकहॉल में बदलने की सुविधा प्रदान करेंगे। यह रणनीतिक दृष्टिकोण न केवल बैकहॉल बुनियादी ढांचे के लिए बीएसएनएल की मौजूदा बैंडविड्थ क्षमता को बढ़ाएगा बल्कि उच्च वीसैट शुल्क वाले बैंडविड्थ शुल्क की आवश्यकता को समाप्त करके परिचालन व्यय (ओपेक्स) में महत्वपूर्ण बचत करेगा।

(v) दूरसंचार विभाग को 2021 की अपनी 'राइट ऑफ वे' नीति को "इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे नियम 2016", संशोधन दिनांक 17.08.2022 के अनुरूप बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ काम करना चाहिए, जिसमें भाग-।। (पुनर्निर्माण के लिए प्रभार) के पैराग्राफ 6 (3) में प्रावधान के तहत दूरसंचार लाइसेंसधारी (यों) को किसी भी भूमिगत टेलीग्राफ इन्फ्रास्ट्रक्चर बिछाने के दौरान होने वाले किसी भी क्षति को तुरंत बहाल करने के लिए जिम्मेदारी वहन करने के लिए कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी (अचल संपत्तियों के लिए पुनर्स्थापना शुल्क का 20%) के साथ एक वचन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(vi) दूरसंचार विभाग को अपने OM No. F.No.19-1/2019-SU-I दिनांक 12.10.2020 में निम्नलिखित प्रावधानों को शामिल करते हुए एक संशोधित संशोधन जारी करना चाहिए, जो भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, केंद्र सरकार के अधीन स्वायत्त निकायों आदि पर लागू हो:

क. जहां बीएसएनएल/एमटीएनएल नेटवर्क कवरेज या इंटरनेट/ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन और लीज्ड लाइन आवश्यकताओं के लिए क्षमता/नेटवर्क बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता नहीं है, ऐसे मामलों में बीएसएनएल/एमटीएनएल आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर अथवा बीएसएनएल/एमटीएनएल के किसी भी टिप्पणी पर स्पष्टीकरण प्राप्त होने की तारीख से, जो भी

बाद में हो, संबंधित मंत्रालय/सरकारी विभाग को 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एनओसी) प्रदान करेगा, जिसके विफल होने पर एनओसी जारी कर दी गई मान लिया जाएगा।

(vii) दिनांक 24.04.2023 को "लद्दाख के दूर-दराज के इलाकों में टेलीकॉम कवरेज और बैकहॉल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार" संबंधी अपनी पूर्व अनुशंसाओं के अनुरूप यह अनुशंसा की गई है कि:

क. हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति, चंबा, मंडी एवं कुल्लू जिलों में कार्यरत सभी टीएसपी को अपनी अतिरिक्त बैकहॉल ट्रांसमिशन संसाधन क्षमता तक किसी भी पात्र लाइसेंस प्राप्त टीएसपी/आईएसपी को पहुंच प्रदान करनी होगी, जिसमें वर्तमान और भविष्य की यूएसओएफ परियोजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसियां भी शामिल हो । यह उचित और गैर-भेदभावपूर्ण नियमों एवं शर्तों पर या तो पट्टे/किराए के माध्यम से या पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर प्रदान की जानी चाहिए।

ख. रिसोर्स पूलिंग और ऑप्टिकल फाइबर आधारित सेल्फ-हीलिंग रिंग के निर्माण की सुविधा के लिए, प्राधिकरण ने जल्द से जल्द एक समिति का गठन की अनुशंसा करता हैं । इस समिति की अध्यक्षता एलएसए स्तर पर हिमाचल प्रदेश की दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन और निगरानी (टर्म) क्षेत्र इकाई के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। इसमें एलएसए में कार्यरत सभी टीएसपी के उपयुक्त प्रतिनिधि भी शामिल होने चाहिए। समिति की भूमिका अन्य बातों के साथ-साथ एलएसए स्तर पर संसाधन साझा करने और पूलिंग से संबंधित अभ्यावेदन की समय-समय पर समीक्षा और समाधान करने की होगी।

ग. यदि किसी प्रभावित इकाई को बाधाओं या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो,दूरसंचार विभाग मुख्यालय में एक दूसरी स्तर की समिति गठित की जानी चाहिए । यह समिति ऐसे सभी मामलों की समय-समय पर समीक्षा करेगी और यदि आवश्यक हो तो उच्च स्तर पर हस्तक्षेप के माध्यम से समाधान प्रदान करेगी।

(viii) "लघु सेल और एरियल फाइबर परिनियोजन के लिए स्ट्रीट फ़र्निचर का उपयोग" संबंधी दिनांक 29.11.2022 के अपनी पूर्व अनुशंसाओं के अनुरूप, प्राधिकरण ने अनुशंसा की है कि पट्टेदार (एक टीएसपी) द्वारा किसी भी पट्टादाता टीएसपी को अतिरिक्त बैकहॉल मीडिया ट्रांसमिशन संसाधन क्षमता के उपयोग के लिए भुगतान किए गए शुल्क को एप्लीकेबल ग्रॉस रेवेन्यू (एपीजीआर) पर पहुंचने के लिए ऐसे पट्टादाता टीएसपी के ग्रॉस रेवेन्यू से हटा दिया जाना चाहिए । यूएल, एनएलडी और आईएसपी लाइसेंस में भी आवश्यक संशोधन किए जाएं।

वि. रघुनंदन

(वि. रघुनंदन)
सचिव, भादूविप्रा